फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री हरिश सोनी पिता मनोहर सोनी निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 87/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 17.10.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( )सू0अ0,05/2025/844 दिनांक 08.10.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दो आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2025 को सूचना के अधिकार अधिनिय,05 के तहत इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। आरटीआई आवेदन मे इप्सित सूचना चन्द्रशेखर तोषवाड़ा की भारत पेट्रोलियम के पक्ष में पेट्रोल पम्प लगाने हेतु जारी एनओसी से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली मय साइट प्लान व द्वितीय आवेदन में ईप्सित सूचना चन्द्रशेखर तोषवाड़ा की देलवाड़ा पटवार मण्डल में आ.नं. 600 व 3129/601 में कन्वर्जन ऑर्डर की सम्पूर्ण पत्रावली चाही गई इस हेतु संबंधित तृतीय पक्ष (चन्द्रशेखर तोषवाड़ा) को इस कार्यालय के पत्रांक 754 दिनांक 26.08.2025 से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पर पक्ष की सहमति/असहमति चाही गई। दिनांक 27.08.2025 को तृतीय पक्ष द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष असहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 769 दिनांक 08.09.2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचित किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत सूचना दिया जाना प्रावधित नहीं है। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत सूचना दिया जाना प्रावधित नहीं है, इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 769 दिनांक 08.09.2025 से अवगत कराया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाए तृतीय पक्ष से संबंधित होने से संबंधित तृतीय पक्ष (चन्द्रशेखर तोषवाड़ा) को जरिये पत्रांक 754 दिनांक 26.08.2025 से सूचना	

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपलब्ध करवाने हेतु पर पक्ष की सहमति/असहमति चाही गई। जिस पर दिनांक 27.08.2025 को तृतीय पक्ष द्वारा असहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 769 दिनांक 08.09.2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचित किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत सूचना दिया जाना प्रावधित नहीं है।

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत वांछित सूचना दिया जाना प्रावधित नहीं होने तथा उक्त संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)